

23

संशोधित डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

ओ020रूल 6-7 जाब्ता दिवानी

मुकाम - कुशलगढ़

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी

सत्यनारायण आचार्य

कोदरसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी बडीसरवा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

बनाम

कोदरसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी बडीसरवा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

मुन्धारी तहसीलदार कुशलगढ़

जिला कलक्टर बांसवाड़ा

प्रकरण सं0 38/2014

88, 91, 53, 209 रा0का0अ0,

इस मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है/डिक्री जारी की जाती है कि-

जान बडीसरवा की भूमि सर्वे नं0 276 रकबा 0.08, 337 रकबा 0.50, 343 रकबा 2.00, 345 रकबा 0.06, 345 रकबा 0.45, 347 रकबा 2.26, 248 रकबा 3.20, 349 रकबा 0.20, 350 रकबा 0.42 कुल खेत 9 कुल रकबा 9.17 एकड़ लगान 8.37 तथा ग्राम सींगलाकुंडी की भूमि सर्वे नं0 183 रकबा 0.18, 184 रकबा 1.10, 185 रकबा 1.68 कुल खेत 3 कुल रकबा 3.56 एकड़ लगान 2.32 का भंवरसिंह पिता सोहनसिंह 1/3, कोदरसिंह पिता सोहनसिंह 1/3, काली बेवा वालुसिंह 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

जान सींगलीकुंडी की भूमि सर्वे नं0 183 रकबा 0.18, 184 रकबा 1.10, 185 रकबा 1.68 कुल खेत 3 कुल रकबा 2.96 एकड़ लगान 2.32 नाकावाला लघु सिंचाई परियोजना के बांध एवं खेत में अवाप्त हो चुकी है। उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज होगी।

जान बडीसरवा की भूमि सर्वे नं0 276 रकबा 0.08, 337 रकबा 0.50, 343 रकबा 2.00, 345 रकबा 0.06, 345 रकबा 0.45, 347 रकबा 2.26, 248 रकबा 3.20, 349 रकबा 0.20, 350 रकबा 0.42 कुल खेत 9 कुल रकबा 9.17 एकड़ लगान 8.37 में उक्त हिस्सा अनुसार (सर्वे) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस तीन-तीन प्रतों में पेश करेंगे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

निज .....मुलालिग .....बात .....खर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह ..... फिसदी ..... अज तारीख से तारीख अदायगी तक..... बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज 21.07.2016 को जारी की गई।

(सत्यनारायण आचार्य)

उपखण्ड अधिकारी

कुशलगढ़

रूपया पैसा

रूपया पैसा

मुदायलाल

स्टाम्प वकालतनामा

स्टाम्प अर्जी

महनताना

खर्चा गवाहान

फीस कमिश्नर

अर्जी दावा

वकालतनामा

बजह सवूत

वकील

.....